शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 03/11/2026

संचिका संख्या–07/मु०–01–261/2026–3103/यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–7744/2026 कामिनी ठाकुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–24.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"...Considering the limited nature of prayer made by learned counsel for the petitioner, this writ application is disposed of directing the Director, Primary Education, Education Department, Government of Bihar to dispose of the pending representation of the petitioner dated 01.12.2025 (Annexure-P/10) in light of the judgment of this Court dated 17.10.2019 passed in CWJC No.6725 of 2018 (Annexure-P/7) after giving an opportunity of hearing to the petitioner. The order disposing of the pending representation of the petitioner shall be passed within three months from the date of receipt/production of a copy of this order, after giving an opportunity of hearing to the petitioner.

7. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the Director, Primary Education, Education Department, Government of Bihar should be a reasoned and speaking order. It is further made clear that in case the petitioner is found entitled to the relief, which the petitioner is claiming through the pending representation in light of the judgment dated 17.10.2019 passed in CWJC No.6725 of 2018 (AnnexureP/7) then the same should be extended to the petitioner within a further period of three months from the date of passing of the final order.

8. With the aforesaid observation and direction the present writ application stands disposed of. All pending I.As, if any will be deemed to have been disposed of.,..."

3. उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक–2789 दिनांक–25.09.2026 द्वारा क्रमशः दिनांक–05.10.2026 को सुनवाई निर्धारित किया गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी नियुक्ति दिनांक–14.05.1988 को राजकीय महावीर ललिता मध्य विद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण में शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षिका के पद पर हुई थी। श्रीमती ठाकुर द्वारा दावा किया जा रहा है कि मुझे दिनांक–14.05.1998 को प्रथम वित्तीय उन्नयन, दिनांक–01.01.2009 को द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं दिनांक–14.05.2018 को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाय।

5. प्रस्तुत मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण के पत्रांक–4948 दिनांक–03.10.2026 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री हरिशंकर पाठक, शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी नियुक्ति 27.04.1985 को हुई, के द्वारा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण निमित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष परिवाद दायर किया गया।

6. उक्त परिवाद के अंतिम विनिश्चय के पश्चात विभागीय आदेश ज्ञापांक–1071 दिनांक–07.10.2021 एवं 1064 दिनांक–14.09.2022 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–3219 दिनांक–10.07.2026 द्वारा वादिणी कामिनी ठाकुर को दिनांक–14.05.2000 से वरीय वेतनमान, 01.01.2009 से द्वितीय वित्तीय उन्नयन तथा दिनांक–14.05.2018 से तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जा चुका है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत मामले को निस्तारित किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
पटना, दिनांक 03/11/2026

ज्ञापांक–07 / मु०–01–261 / 2026 3103

प्रतिलिपिः– Kamini Thakur wife of Arun Kumar Thakur, Resident of ward no. 31, Agarwa Gali No. 1 Near Hospital Chowk, P.S Sadar, District- East Champaran at Motihari.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु०–01–261 / 2026 3103 पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु०–01–261 / 2026 3103 पटना, दिनांक 03/11/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

30/10/2026